

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/मुख्य के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व दिवस नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, वास्तविक या अन्य) होने की स्थिति में निगम को कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदन निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

स्फुल्ल खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 636 दिनांक 28/03/2020
माथीया डीमरी मुख्य क्वार्टर प्लॉट नं० 47 इलाक़ा
ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009
धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय पिनो: जलरज संख्या 765/16 श्रेणी
भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश संख्या 1157/751 16 श्रेणी - कैम का प्लान
कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 31367 जमा
जरिये रसौद संख्या 9643/9645, 9646
दिनांक 28/03/2020 को जमा करा गया है ।

28/3/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

Samsat
28/3/20
9413242650

श्री नं/
वासीय